दिनांक 20/01/2024 को देहरादून पुलिस ने लगातार 05 वर्षा से फरार चल रहे शातिर वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

मा0 न्यायालय द्वारा जारी गैरजमानती वारंटो की शत प्रतिशत तामीली एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी प्रभारी/थानाध्यक्षों को कडे निर्देश निर्गत किये गये है। जारी निर्देशों के क्रम में थाना राजपुर पर गठित पुलिस टीम द्वारा मां0 एसीजेएम तृतीय कोर्ट के एन आई एक्ट के वाद संख्या: 3740/19 मे पिछले पांच वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त विनेश सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्त काफी शातिर किस्म का अपराधी है तथा उसके द्वारा लगातार पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिये बार-बार अपने ठिकाने व मोबाइल नम्बर बदले जा रहे थे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु सुरागरसी-पतारसी करते हुए इलेक्ट्रानिक्स सर्विलांस का भी उपयोग किया जा रहा था, साथ ही मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप मुखबिर की सूचना पर विगत 05 वर्षों से फरार चल रहे अभियुक्त विनेश ठाकुर को जोहडी गांव से गिरफ्तार किया गया। जहां अभियुक्त अपने घर को छोडकर किराये के मकान में निवास कर रहा था।

नाम पता अभियुक्तः-

विनेश सिंह ठाकुर पुत्र आनन्द सिंह ठाकुर निवासी: 3/4 आदर्श कालोनी लेन 3/4 दून विहार उम्र लगभग 47 वर्ष, हाल निवासी जोहडी गावं।